कार्यालय अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर

जैसलमेर रोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग नं.– 15, बीकानेर

फोन नं. 0151–2528163 ईमेल एड्रेस -mscollge.bkn@ gmail.com

निविदा – प्रपत्र एवं शर्ते

उपाबन्ध ''ब''

1. विषय :– वर्ष 2019–20 के लिये सफाईकर्मी ठेका देने हेतु निविदा।

2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूर्ण पता ....

   दूरभाष संख्या .... ऑफिस / दुकान .... घर ....
   .... पेन नम्बर ....

3. सन्दर्भ – निविदा सूचना संख्या .... दिनांक .... खुली बिड सूचना 01 / 2019–20

4. निविदा शुल्क की राशि रू ....(अखरे रू...) जमा करा दी गयी। डिमाण्ड ड्राफट सं.....................................दिनांक............................

5. निविदा सूचना संख्या 01 / 2019–20 जो राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर के द्वारा जारी की गयी है, मै वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिए हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न प्रपत्र मे दी गयी है। (जिसके समस्त पृष्ठो पर उनमे वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किए जाने के प्रतिस्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिए है।) का भी पालन करने के लिए हम सहमत है।

6. सफाईकर्मी ठेका की दरें आगे अंकित विवरणानुसार है : संलग्न विवरण :

7. निविदा मे दी गयी निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी। सफल निविदादाता (जिसकी निविदा दरें स्वीकार कर ली गयी हो) की दरे अनुबध अवधि से माल आपूर्ति एंव भुगतान तक वैध होगी, जिसके अन्तर्गत कार्यालय वांछित आपूर्ति हेतु आदेश दे सकेगा।

8. धरोहर राशि हेतु प्राचार्य, राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय, बीकानेर के पक्ष मे रू ....(अखरे रू..) ड्राफट / रसीद सं................ दिनांक.....................के द्वारा जमा करा दी है।

9. संबंधित बिक्री कर / वाणिज्यिक कर–अधिकारी से टिन नम्बर रजिस्ट्रेशन प्रमाण–पत्र संख्या . ... एवं / बिक्री कर शोधन प्रमाण– पत्र इसके साथ प्रस्तुत है।

10. न्यूनतम निविदादाता के ठेके की अवधि 30.06.2020 माह होगी

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

निविदादाता के हस्ताक्षर

कार्यालय अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर

बोली प्रपत्र

प्रपत्र अ

संवेदकों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से पांच सफाई कर्मी लेने हेतु।

1. बोली दाता का नाम – ....
2. पता एवं मोबाईल न. –..
3. जिसको संबोधित किया गया – अध्यक्ष, राजकीय एमएस महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर।
4. सन्दर्भ बोली सूचना क्रमांक 01/2019–20 दिनांक – ....
5. बोली शुल्क राषि रू. – 200/– नकद डिमान्ड ड्राफट संख्या .... दिनांक .... संलग्न है।
6. राजकीय विभाग/उकक्रम में सफाई कर्मी उपलब्ध कराने का अनुभव, यदि कोई हो तो विवरण प्रति संलग्न करें।
7. निम्न सारणी में अंकित दस्तावेजों की स्वंय प्रमाणित प्रति संलग्न करें।

क्र. सं.	विवरण	रजि.सं.	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आय कर (पैन नंबर)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 या इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अन्तर्गत या इण्डियन कम्पनी एक्ट 1956 के अन्तर्गत				

8. **बोलीदाता द्वारा भारत सरकार, राज्य सरकार व किसी विभाग द्वाराब्लैकलिस्टेडनही किये जाने के संबंध में घोषणा पत्र ।**
9. **हमें अध्यक्ष राजकीय एम.एस महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर द्वारा जारी की गई बोली सूचना संख्या 01/2019–20 दिनांक ....में वर्णित सभी शर्तों सहित राजस्थान लोक उपापन पारदर्षिता नियम 2013 व संलग्न शर्तों से बाध्य होना स्वीकार है। इस हेतु हमने बोली के साथ संलग्न सभी पृष्ठो पर उनमें उल्लेखित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में अपने हस्ताक्षर कर दिय है।**

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

<u>बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील</u>

कार्यालय अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर

प्रपत्र ब

संवेदकों/सेवा प्रदाताओं के माध्यम से पांच सफाई कर्मी लेने हेतु।

1. बोली दाता का नाम – ....

2. पता एवं मोबाईल न. –..
   ....

3. ईमेल आई डी – ....

4. बोली दाता द्वारा दरें निम्नानुसार प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी।

कम संख्या	कार्य का विवरण	कार्य हेतु आवष्यक मानव संसाधन की अनुमानित संख्या	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्युनतम मजदूरी प्रति व्यक्ति	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत प्रति व्यक्ति दर	म्च्थ्	म्ैप्	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राषि प्रति व्यक्ति प्रति माह	ज्व्ज्।स् ळैज् ;ब्ळैज्ैळैज्द्ध	कुल राषि प्रति व्यक्ति प्रति माह ;ब्वसउ दव 56789द्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	पांच सफाई कर्मी (प्रतिदिन प्रातः 9.00 बजे से प्रातः 05:00 बजे तक)	अकुषल 05 कर्मी							
कुल राषि प्रति व्यक्ति प्रति माह शब्दों में									

नोटः–1.श्रम विभाग द्वारा श्रम नियमों की पालना में समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशानुसार ठेकेदार द्वारा उपलब्ध करवाये गये कार्मिक (श्रमिकों) को अनिवार्य रूप से ठेकेदार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का भुगतान तो करना ही होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए दरें देवे। यदि बोलीदाता द्वारा अपनी दरों में न्यूनतम मजदूरी से कम दरों के प्रस्ताव दिये जाते है तो बोली पर विचार नही किया जायेगा। विभाग द्वारा अतिरिक्त सेवा कर/जीएसटी एवं सेवा चार्ज देय है।

2.जब भी राज्य/केन्द्र सरकार द्वाराई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0की दरो मे घटौतरी या बढोतरी होगी वो इस विभाग को मान्य होगी।

3.ई0पी0एफ0 एवं ई0एस0आई0एव सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी एंजेसी/बोलीदाता की होगी।

3.बोली सूचना संख्या 01/2019–20 जो कि अध्यक्ष राजकीय एमएस महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर द्वारा`चचच चवतजंस पर जारी की गई है, में वर्णित सभी शर्तो की पालना के लिये हम सहमत है तथा उक्त बोली सूचना की अन्य शर्ते जो सलग्न पृष्ठ में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने की प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी पालन करने के लिये हम सहमत है।

बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

बोली शर्तें

बोली संख्या –01/2019–20 के सन्दर्भ में बोली शर्तें निम्न है –

नोट– बोली दाताओं को इन शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ना चाहिए तथा अपनी बोली भेजते समय इनका पूर्णरूपेण पालन करना चाहिए।

1- अनुबंध प्रारंभ में 01 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर इसे आपसी सहमति से नियमानुसार बढाया जा सकेगा।

2- बोलियां निर्धारित प्रारूप एवं प्रपत्र में प्रस्तुत की जायेगी। एसपीपी पोर्टल से डाउनलोड कर प्राप्त किया जा सकेगा। बोली शुल्क का प्रतिदाय नहीं किया जायेगा। जो बोलिया निर्धारित प्रपत्रों में प्रस्तुत नहीं की जायेगी उन्हें नामंजुर कर दिया जायेगा।

3- बोलियां मोहरबंद लिफाफें में जिस पर स्पष्ट रूप से सफाई कर्मी प्रदाय हेतु बोली लिखा होगा। दिनांक 20.06.19 .को दोपहर 12 बजे तक या उससे पूर्व पहुंच जानी चाहिए। देर से प्राप्त एवं बिना बोली प्रतिभूति राषि प्राप्त बोली पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा। तत्काल निरस्त की जायेगी।

4- प्रथम चरण में बोली दाता के प्रतिभूति राषि संलग्न किये जाने के पष्चात उसकी बीड का मूल्यांकन किया जायेगा।केवल उन्हीं बोलीदाताओं की बीड खोली जायेगी जो कि बीड में वांछित आवष्यकताओं और कसौटीयों पर कमेटी द्वारा स्वीकृत किये जायेगें।

5- बोलीदाता द्वारा बीड को लिफाफें में प्रस्तुत किया जायेगा। जिन पर स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा ''सफाई कर्मी हेतु बीड''। सफाईकर्मियों की संख्या आवष्यकतानुसार बढाई जा सकती है।

6- बीड प्रपत्र भरा हुआ,षर्तों की स्वीकार्यता के रूप में बीड की प्रति समस्त सामान्य एवं जानकारी बीड शुल्क, बोली प्रतिभूति तकीनीकी बीड प्रपत्र के क्रम संख्या 7 में दी गई सारणी अनुसार दस्तावेजों की स्वप्रमाणित प्रतियां रखी जानी है।

7- प्रतिभूति राषि का डीडी संलग्न करना है।

8- सफाई कार्य हेतु काम लिये जाने वाली सामग्री (झाड़ू, फिनाइल, एसिड आदि) ठेकेदार द्वारा ही उपलब्ध कराई जायेगी।

9- बोली दाता से यह अपेक्षित है कि उसे कार्य की साईट बीड की शर्तों एवं अन्य समस्त स्थानीय कानुनों एवं परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान होगा। ऐसा न होने पर नुकसान अथवा अन्य प्रभाव के लिए बोली दाता स्वंय जिम्मेदार होगा। तथा विभाग उसका उत्तरदायित्व स्वीकार नहीं करेगा।

10- बोली प्रस्तुत की जाने की दिनांक से अन्तिम दिनांक के पष्चात 90 दिनों तक वैध होगी।

12 सेवा प्रदायकर्ता को बोली कार्य का संचालन स्वयं को ही करना होगा, वह किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को बोली कार्य सबलेट नही करेगा।

13 बोली के संबंध मे अन्य कोई शर्तें मान्य नही होगीं। सशर्त बोलीओं पर विचार नही किया जाएगा।

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

14 सेवाओं मे कार्य संतोषजनक नही पाये जाने पर 7 दिवस के लिए कार्य में अपेक्षित सुधार का नोटिस दिया जावेगा। सेवाओं में अपेक्षित सुधार नही होने की स्थिति में अनुबंध निरस्त करते हुए अनुमोदित फर्म को काली सूची में डालकर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

15 टीडीएस की कटौती विभाग द्वारा भुगतान करते समय नियमानुसार की जावेगी।

16 सफाई कार्य प्रतिदिन प्रातः 09:00 बजे से सांय 05.00 बजे तक करना होगा। रविवार व राजकीय अवकाषों में सफाई कार्य नहीं होगा। आवष्यकता पड़ने पर इन दिवसों में सफाई कार्य हेतु सफाई कर्मचारियों को बुलाया जा सकता है।

17 बोली दाता द्वारा लगाये गये सफाई कर्मियों को महाविद्यालय में आन्तरिक एवं बाहरी परिसर की सफाई, समस्त शौचालयों, कमरों, ऑफिसों की छतों/ विभागों से जालों की सफाई प्रतिदिन करनी होगी। इसके अतिरिक्त कार्यालय द्वारा समय–समय पर आंवटित अन्य सफाई कार्य भी करने होगें।

18 किसी भी निविदा/बोली को बिना कारण बताये स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर को होगा।

अन्य महत्वपूर्ण शर्तें –

1. न्युनतम मजदुरी अधिनियम 1948 (केन्द्रीय अधिनियम 11, वर्ष 1948) के वैधानिक प्रावधानों की अनुपालना का दायित्व सम्बन्धित संवेदक/बोलीदाता का होगा।

2. राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधि. 1970, कर्मचारी भविष्य निधि अधि. 1952 एवं कर्मचारी राज्य बीमा अधि. 1948 के अन्तर्गत नियमानुसार पंजीकृत संवेदक ही उक्त प्रकार की बोली में भाग लेने हेतु अर्हत होगें। पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि पूर्ण रूप से भरे हुए बोली दस्तावेज के साथ सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत की जायेगी।

3. संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान अनिवार्य रूप से उनके बैंक खातों में ही किया जायेगा। सम्बन्धित संवेदक द्वारा नियोजित श्रमिकों के बैंक खाते में जमा कराई गई राषि का विवरण सम्बन्धित कार्यालय को आगामी माह के मासिक बिल के साथ अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा। श्रमिकों के बैंक खातों में जमा कराई गई राषि का विवरण बाबत कार्यालय की संतुष्टि होने पर ही संवेदक का आगामी माह के बिल का भुगतान किया जायेगा।

4. श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार श्रमिकों को मजदूरी के भुगतान करने का दायित्व सम्बन्धित संवेदक का होगा।

5. श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान सुनिष्चित करने के लिए संविदा अवधि के दौरान न्यूनतम मजदूरी दर में श्रम विभाग की अधिसूचना से समय–समय पर वृद्धि होने पर कार्यालय द्वारा संवेदक को बढ़ी हुई न्यूनतम मजदूरी की सीमा तक अन्तर राषि का भुगतान किया जा सकेगा।

6. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों को नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राषि से कटौती और संवेदक का अंषदान भी शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई के अंषदान की राषि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

7. राज्य में लागु श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. और ई. एस.आई की राषि जमा कराने का दायित्व संवेदक का होगा।

8. संवेदक द्वारा श्रमिकों को देय राषि पर वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) की राषि अतिरिक्त रूप से देय होगी। सभी प्रकार के करों को जमा करवाने की जिम्मेदारी संवेदक की होगी। संवेदक द्वारा गत माह में जमा कराये गये वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) के चालान की प्रति आगामी माह कि बिल के साथ्श अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी। वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) की राषि जमा कराने का प्रमाण स्वरूप चालान की प्रति प्रस्तुत नहीं किये जाने पर आगामी माह के बिल में वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) का भुगतान नहीं किया जायेगा। उक्त स्थिति में वस्तु एवं सेवा कर (ळैज) के सम्बन्ध में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के दायित्वों के निर्वहन का उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

9. श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिषा–निर्देषों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही हागा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिषा–निर्देषों आदि की पालना नहीं करने की स्थिति में उसके परिणामों/दायित्वोंके लिये संवेदक स्वंय उत्तरदायी होगा।

10. यदि संवेदक एवं कार्य पर लगाये गये श्रमिकों के मध्य कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उसकी प्रबन्धकीय जिम्मेदारी संवेदक की होगी। इसके लिए कार्यालय का सक्षम प्राधिकारी न्यूनतम मजदूरी अधि. 1948 एवं राजस्थान अनुबन्धित श्रमिक अधित्र (नियमन एवं उन्मूलन) 1970, का उचित प्रकार से तथा निष्ठापूर्वक पालन करने के लिए उत्तरदायी होगा।

11. नियोजित श्रमिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधि. 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्य मुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुवावजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा।

12. कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध /संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ ई.एस.आई. करवाने/ सामूहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिए कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

13. यदि संवेदक द्वारा नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं किये जाने की षिकायत उपान संस्था को प्राप्त होती है तो कार्यालय इस संबंध में श्रम विभाग को अनिवार्य रूप से सूचित करेगी और नियमानुसार आवष्यक होने की स्थिति में संवेदक को क्मइंत कराने की कार्यवाही करेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)

कार्यालय अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर

बोली प्रतिभूति ;ठपक`मबनतपजलद्ध एंव कार्य सम्पादन प्रतिभूति;Performance security) व करार

15.1 बोलीदाता द्वारा बिड के साथं बोली प्रतिभूति राषि अक्षरे 7000/– (.सात हजार मात्र) जमा करवाया जाना अनिवार्य है । प्रतिभूति राषि **अध्यक्ष राजकीय एमएस कन्या महाविद्यालय विकास समिति बीकानेर** के नाम होनी चाहिए ।

15.2 असफल बोलीदाता की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत किए जाने के पष्चात् षीघ्र कर दिया जावेगा ।

15.3 सफल बोली दाता के प्रतिभूति राषि का समहरण(वितपिमजनतम व िमंतदमेज डवदमल) कर लिया जावेगा यदि बोलीदाराजा बिड खोलने के बाद किन्तु बिड स्वीकार करने से पूर्व अपने प्रस्ताव वापस ले लेता है , अथवा विनिर्दिष्ट समय में करार नहीं करता है या सफाई कार्य प्रारम्भ करने में असमर्थ रहता है । अथवा कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा कराने में असमर्थ रहता है । इस संबंध में बोली प्रतिभूति समहद्र करने से पूर्व बोलीदाता को युक्तियुक्त समय देते हुए नोटिस दिया जावेगा ।

15.4 सफल बोलीदाता द्वारा कार्यालय से सफल घोषित होने की सूचना प्राप्त होने के पांच दिवस में स्वंय के स्तर पर संविदा राषि का 5 प्रतिषत के स्टाम्प पर करार निष्पादित कर कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तथा शेष 3 प्रतिषत कार्य सम्पादन प्रतिभूति राषि जमा करवानी होगी। अन्यथा इसके अभाव में उनकी बोली निरस्त कर दी जायेगी एवं बोलीदाता द्वारा जमा कराई गई बोली प्रतिभूति राषि जब्त कर ली जायेगी।

15.5 कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहत निविदा षर्तो के उल्लंघन करने कार्य संतोषप्रद रूप से नहीं करने दिए गए नियमों एंव विनियमों की पालना नहीं करने एंव अध्यक्ष महोदय के आदेषानुसार नियमान्तर्गत किया जा सकेगा । कार्य सम्पादन प्रतिभूति को समहत करने से पूर्व युक्तियुंक्त समय देते हुंए नोटिस दिया जावेगा ।

14. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त जहां आवष्यक हो सामन्य वित्तीय एवं लेखा नियमों एवं राजस्थान लोक उपापन में पारदर्षिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के प्रावधान लागु होगें।

15. समस्त विधिक कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवष्यक हो तो किसी भी पक्षकार (सबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा बीकानेर में स्थित न्यायालयो में पेष की जायेगी।

16. वित विभाग राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित परिपत्र संख्या 3/2013 दिनांक 04 फरवरी 2013 की विभिन्न शर्तें उक्त बोली प्रपत्र में संलग्न है को ध्यानपूर्वक पढ़े व उसका अनुसरण करें।

संलग्न :–Annexure A, B,C, D

प्राचार्य एवं अध्यक्ष
रा.एमएस महा. विकास समिति,
बीकानेर

मैने/हमने उपरोक्तानुसार वर्णित शर्तों को भली भांति पढ लिया है एवं समझ लिया है। हम उपरोक्त वर्णित सभी शर्तो की पूर्ण पालना करने के लिए सहमत है। सहमति स्वरूप बोली की सामान्य शर्तों के प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे/हमारे/द्वारा हस्ताक्षर कर दिये गये है। हमारे द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा पत्र संलग्न है।

दिनांक :– बोली दाता के हस्ताक्षर मय सील

प्राचार्य
राज. महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय
बीकानेर (राज.)